

# कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, म.प्र.

भोपाल शाखा, 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462011 दूरभाष 0755-2554821 & 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in



क्रमांक नि.वि.1/समूह-2/डी- 5/7

दिनांक <sup>9</sup>.06.2025

प्रति

वरिष्ठ संभागीय लेखा अधिकारी, संभागीय लेखा अधिकारी –1 संभागीय लेखा अधिकारी –2 संभागीय लेखापाल ।

विषय:- बाहरी पदों के लिए आवेदन करने और ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से शैक्षणिक संस्थान में शामिल होने की अनुमित के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संलग्न परिपत्र में उल्लेखित दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें |

यह पत्र उप-महालेखाकार द्वारा अवलोकित है |

संलग्नः उपरोक्तानुसार

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.1

पृष्ठ क्रमांक नि.वि.1/समूह-2/डी-

दिनांक .06.2025

प्रतिलिपि-

सहायक लेखा अधिकारी/VLC (स्थानीय) की ओर वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है |

-82-011-

सहायक लेखा अधिकारी/नि.वि.1



### Office of the Accountant General (A&E)-1, M.P.

Bhopal Branch, 53, Arera Hills, Hoshangabad Road, Bhopal-462011 Tel: 0755-2554821 & 2764037 Fax: 0755-2557452 E-Mail: srdagaebhopal@cag.gov.in



No/WM-I/Gr-3/D-

Date:-

.06.2025

#### Circular

Sub: Permission for applying for outside posts and joining of educational institution via Online or Offline mode regarding विषय: बाहरी पदों के लिए आवेदन करने और ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से शैक्षणिक संस्थान में शामिल होने की अनुमति के संबंध में।

## Applying for outside posts:-

Officials (DA Cadre) of this office when apply directly to examinations notified by Staff Selection Commission and Union Public Service Commission and State Public Service Commissions as mentioned in Article 315 of Indian Constitution as in the case of direct recruits, they must seek the permission of the competent authority immediately, not later than the date of closing of application, providing complete relevant details of the examination/post for which they have applied. An official is provided with not more than four opportunities to apply for outside posts in a year excluding applications to Union Public Service Commission It may be noted that permanent Government servants on their being selected for appointment in central autonomous bodies/ Central Public Sector Enterprises (PSUs) will have to resign before they are permitted to join the new organisation. In this case, no lien shall be retained. Where an official seeks permission, to apply for employment in private business and industrial firm, etc., he/she should submit their resignation or notice of retirement, as the case may be before applying for private employment. Permission for applications from Government servants for employment elsewhere, submitted otherwise than in response to advertisement or circulars inviting applications, shall not be sanctioned.

इस कार्यालय के कार्मिक (डीए संवर्ग) जब कर्मचारी चयन आयोग एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में उल्लेखित संघ लोक सेवा आयोग/ और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा अधिसूचित परीक्षाओं के लिए सीधे आवेदन करते हैं, जैसा कि सीधी भर्ती के मामले में होता है, तो उन्हें आवेदन समाप्त होने की तिथि से पहले सक्षम प्राधिकारी से तत्काल अनुमति लेनी होगी, तथा उस परीक्षा/पद का पूरा प्रासंगिक विवरण देना होगा जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है। किसी भी कार्मिक को संघ लोक सेवा आयोग के आवेदन के अलावा एक वर्ष में बाहरी पदों के लिए आवेदन करने के लिए अधिकतम चार अवसर प्रदान किए जाते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि केंद्रीय स्वायत्त निकायों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयू) में नियुक्ति के लिए चयनित होने पर स्थायी सरकारी कर्मचारियों को नए संगठन में शामिल होने की अनुमति मिलने से पहले त्यागपत्र देना होगा। इस मामले में कोई ग्रहणाधिकार नहीं रखा जाएगा। जहां कोई अधिकारी निजी व्यवसाय और औद्योगिक फर्म आदि में रोजगार के लिए आवेदन करने की अनुमति चाहता है, तो उसे निजी रोजगार के

लिए आवेदन करने से पहले अपना त्यागपत्र या सेवानिवृत्ति की सूचना, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत करनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों द्वारा अन्यत्र रोजगार के लिए विज्ञापन या आवेदन आमंत्रित करने वाले परिपत्रों के प्रत्युत्तर के अलावा प्रस्तुत किए गए आवेदनों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

## Joining of educational institution via Online or Offline mode :-

Officials (DA Cadre) desiring to attend regular classes in colleges or in any educational institutions to take up the examinations or prosecute studies privately to appear in examination as private candidates, must obtain permission of the Accountant General before enrolling candidature for examinations. The permission should be obtained every year before the commencement of the new academic year. Officials who are granted permission to prosecute studies should inform the office as and when they pass the final examination.

कार्मिक (डीए कैडर) जो कॉलेजों या किसी शैक्षणिक संस्थान में नियमित कक्षाओं में उपस्थित होकर परीक्षा देना चाहते हैं या निजी तौर पर अध्ययन करना चाहते हैं, उन्हें निजी उम्मीदवार के रूप में परीक्षा में शामिल होने से पहले महालेखाकार की अनुमित लेनी होगी। प्रत्येक वर्ष नए शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ होने से पहले अनुमित प्राप्त की जानी चाहिए। जिन कार्मिकों को अध्ययन जारी रखने की अनुमित दी गई है, उन्हें अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कार्यालय को सूचित करना चाहिए।

•

This issues with the approval of DAG /(Works Accounts)

Sr Accounts Officer /WM-I